बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना– 800015

कार्यालय आदेश

बिहार मानवाधिकार आयोग की दिनांक 23.01.2024 को आयोजित बैठक की निर्णय कंडिका 3(iii) में अंकित है कि "ऐसा देखा जा रहा है कि आयोग के वर्तमान, संयुक्त सचिव, श्री महेश कुमार दास द्वारा बिना आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष की सहमति/अनुमोदन के गृह विभाग, बिहार/सरकार के अन्य विभाग/प्राधिकार/व्यक्ति वगैरह से, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम– 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का लगातार उल्लंधन कर, मनमाना पत्राचार किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश में उनके द्वारा यह उल्लेखित किया जाता है कि उक्त पत्राचार, आयोग के सचिव, के सहमति/अनुमति/अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है। उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार, आयोग के सचिव, आयोग के मात्र मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (Chief Executive Officer) हैं तथा उन्हें आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष के अनुमति/सहमति/अनुमोदन पर ही अपना सभी कार्य करना है। भविष्य में अगर आयोग सचिवालय के किसी पदाधिकारी द्वारा, किसी भी मामले, में बिना आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष की सहमति/अनुमति/अनुमोदन के सरकार के किसी विभाग/प्राधिकार/व्यक्ति से कोई भी पत्राचार किया जाता है तो इस कार्रवाई को अवैध, क्षेत्राधिकारविहीन, अवज्ञाकारी व Insubordination की कार्रवाई पाकर, दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु, उनके सक्षम प्राधिकार से, आयोग/आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुशंसा कर दी जायेगी।"

03. यह आदेश माननीय अध्यक्ष, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के ORDER NO 35/CH दिनांक 14.08.2025 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

ह0/–
संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

ज्ञापांकः बी0एच0आर0सी0/स्था0– 70/2023 3955
पटना, दिनांक 18/08/2025

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष कोषांग/माननीय सदस्यगण कोषांग/सचिव कोषांग/पुलिस महानिरीक्षक कोषांग/संयुक्त सचिव/निबंधक कोषांग, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

02. अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, (लेखा/स्थापना/परिवाद), बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

03. आई0टी0 मैनेजर बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04. प्रभारी निर्गत शाखा, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को आयोग कार्यालय के सूचना पटट् पर प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/25
संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना